रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223856
CG-DL-E-22122020-223856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
No. 652] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 784(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा IIक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि नीचे उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 11 की अपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और विनियामक प्राधिकारी अर्थात् भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट रिपोर्टकर्ता इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार अधिप्रमाणन सेवा कार्य संपन्न करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

"मैसर्स एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड"।

[फा. सं. पी-12011/10/2020-ईएस सेल-डीओआर]

ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव (राजस्व)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

G.S.R. 784(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned below comply with standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the regulatory authority, namely the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India, hereby notifies the reporting entities specified below to undertake Aadhaar authentication service of the Unique Identification Authority of India under section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002, namely:—

"M/s NSDL e-Governance Infrastructure Limited."

[F. No. P-12011/10/2020-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy. (Revenue)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.22 19:11:42 +05'30'